



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

प्रो. मनोज कुमार
PROF. MANOJ KUMAR
कुलानुशासक
PROCTOR

दूरभाष/Phone: +91 9422404277
manoikumardean@rediffmail.com

दिनांक : 05 जून, 2020

सूचना

विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये कक्षाएँ स्थगित हैं। ग्रीष्मावकाश दिनांक 15 मई 2020 से शुरू है। अगला सत्र सितंबर 2020 से प्रारंभ होगा। आने-जाने हेतु रेल, हवाई व सामान्य यातायात की सुविधा प्रारंभ हो चुकी है जिससे विद्यार्थियों/शोधार्थियों को अपने गृहनिवास जाने में अब समस्या नहीं है। अतः उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए छात्रावास में रह रहे अंतःवासियों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 12 जून 2020 तक छात्रावास खाली कर दें।

यह सूचना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत जारी की जाती है।


(प्रो. मनोज कुमार)
कुलानुशासक

प्रति,

1. समस्त छात्रावास अधीक्षक
2. समस्त छात्रावास के विद्यार्थी/शोधार्थी
3. विश्वविद्यालय वेबसाइट — 05/06/2020
4. कार्यालय प्रति